



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
रैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (गोप्र)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com

वेबसाइट :- www.gmeratlam.org

कार्यालय दूरभाश नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : १०२३ / रक्ता. जी.एम.सी. / 2021

रतलाम, दिनांक :- 26/7/2021

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 803 / रक्ता. / अराज / 2018 भोपाल दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त परिचारिका संघर्ग की अनुसूची के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम अन्तर्गत स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त प्रतिक्षा सूची के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों को अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत वेतनमान रूपये 28700/- सातवें वेतनमान अनुसार (वेतन लेवल 5) निम्नांकित स्टॉफ नर्स को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संस्था में नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	कविता डामोर	रघुनाथ सिंह डामोर	ST/SAMVIDA	
2	रंजना परिहार	अंतर सिंग परिहार	ST/SAMVIDA	
3	दिव्या बारा	धर्मनंद कांडपाल	ST/SAMVIDA	

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर 2000 में दिये गये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही अवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
- 2) यह नियुक्ति अधिक आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
- 3) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपरिथित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वरक्ष्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4) म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- 5) नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन पी एस की पात्रता होगी जो उनके मूलवेतन से 10 प्रतिशत हेतु आधार पर या जो भी शासन द्वारा निर्धारित परवर्तित दर से काटा जायेगा एवं उतना ही भाग रक्षासी संख्या द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में देय होगा।
- 6) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में अनिवार्यत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- 7) आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- 8) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परियोग्यता अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेड के रूप में देय होगी। परियोग्यता अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
- 9) आपकी वरिष्ठता संख्या की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- 10) इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी समरत प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- 11) आपकी नियुक्ति इस रक्षासी संख्या की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संख्या अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

- 12) एक बार इस संरथा में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संरथाओं को रथानान्तरित नहीं होगी।
- 13) उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रापणित छायाप्रतियां जमा करना होगी तथा मूल प्रतियां प्रत्युत्त करना होगी।
- 14) संरथा के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- 15) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
- 16) सबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डताल आदि में भाग लेने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
- 17) शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं यह परिवर्तन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
- 18) भविष्य में यदि कभी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 19) इस संरथा के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संरथा में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
- 20) बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के अवकाश पर नहीं जा सकें।
- 21) म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना की अधिसूचना के एफ 3597/2009/दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी रत्तों के समर्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संरथाओं से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनमें जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवाएं देने से अत्यावश्यक सेवा संधरण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
- 22) स्टॉफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्तलाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजरव की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

७०२४-३२
क्रमांक : /स्था./ जी.एम.सी./ 2021

DEAN
Rajasthan Medical College
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राजस्थान अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्तलाम

रत्तलाम, दिनांक :- 26/२/2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2) संभासायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 5) अस्पताल अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, शा.चि.महा. रत्तलाम।
- 6) - रथानीय लेखा शाखा कार्यालय रत्तलाम की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि रटाय पेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा।
- 7) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय रत्तलाम।
- 8) संबंधित स्टॉफ नर्स की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9) कार्यालय आदेश नस्ति।

DEAN
Rajasthan Medical College
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राजस्थान अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्तलाम